



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261532
CG-DL-E-10032025-261532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1101]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946

No. 1101]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

सं. 62/2024-25

विषय : आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूचो-II (निर्यात नीति) के एचएसएन के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1110(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के लिए उप-शीर्षक 1006 की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 19/2024-25 दिनांक 05.07.2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. निर्यात नीतिगत शर्तों को निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के तहत मौजूदा प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित करके अधिसूचित किया गया है:—

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीतिगत शर्त
1006 2000 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गैर-बासमती चावल	i. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड लिचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड को निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के अध्यक्षीन दी गई है।
1006 3020	बासमती चावल	ii. निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 09.09.2025 तक शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं होगा।

अधिसूचना का प्रभाव: चावल (बासमती और गैर-बासमती) निर्यातों के लिए ईआईसी/ईआईए से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, यूके, आइसलैंड, लिचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड तक सीमित है। अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए इस आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं।

[फा. सं. 01/91/171/35/एम20/ईसी/ई-फाइल/ई-18655 से जारी]
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2025

No. 62/2024-25

Subject: Amendment in Export Policy Condition under HSN of Schedule-II(Export Policy), ITC(HS) 2022 – reg.

S.O. 1110(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification No. 19/2024-2025 dated 05.07.2024, with immediate effect in policy condition of sub-heading 1006 for export of rice (Basmati and Non-Basmati) -

2. The Export Policy Conditions are notified under the existing entries under the following ITC(HS) Codes are amended as under : -

ITC(HS) codes	Item Description	Export Policy Condition
1006 2000 1006 3010 1006 3090 1006 4000	Non-Basmati Rice	i. Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency'.
1006 3020	Basmati Rice	ii. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months i.e. till 09.09.2025

Effect of notification - The requirement for a Certificate of Inspection from EIC/EIAs for Rice (Basmati and Non-Basmati) exports is limited to EU member states, the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. Exports to other European countries are exempt from this requirement for six months from the date of this notification.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/EC/E-File/E-18655]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex Officio Addl. Secy.